महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय
समग्र शिक्षा, विद्या भवन निशातगंज, लखनऊ –226007
वेब–साइट:www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई–मेल upefaspo@gmail.com दूरभाष 0522-4024440,2780384, 781128

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

निपुण भारत

महत्वपूर्ण / आवश्यक

प्रेषक

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः 6ए–2 सामु0सह0 / शारदा / 2017 / 2025–26 लखनऊ, दिनाँकः 20 जून, 2025

विषयः शैक्षिक सत्र 2025–26 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम SHARDA (स्कूल हर दिन आये) के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या– I/560250/2024 दिनांक 11 मई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024–25 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु प्रदेश के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए गये। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि 06–14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं, उनका चिह्नीकरण करते हुए आयुसंगत कक्षा में नामांकन कराया जाये और उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाये।

1. आउट ऑफ स्कूल बच्चों के सम्बन्ध में प्रावधान

1.1 उक्त कार्यक्रम को प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने हेतु समय–समय पर शासनदेशों के माध्यम से प्रतिवर्ष जिलाधिकारी के निर्देशन में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हाकन व नामांकन का वृहद अभियान संचालित किया जाता है।

1.2 शासनादेश संख्या–I/962209/2025 दिनांक 15 मई 2025, **(शासनादेश की प्रति संलग्न)** के द्वारा बच्चों की उपस्थिति में सुधार एवं ड्रॉपआउट को कम करने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए गये साथ ही आउट ऑफ स्कूल बच्चों को निम्नवत परिभाषित किया गया है :–

"6–14 वर्ष की आयु का कोई बालक / बालिका, बिना विद्यालय का माना जायेगा, यदि वह प्रारम्भिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया / की गयी हो"

अथवा

यदि नामांकन के पश्चात एक शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा / रही हो और वार्षिक / NAT मूल्यांकन में 35% से कम अंक प्राप्त किया हो" को ड्राप आउट (अर्थात अपनी शिक्षा पूरी किये बिना विद्यालय छोड़ गये है) मानते हुए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

1.3 उक्त शासनादेश में विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार एवं ड्रॉपआउट को कम करने के लिए विभिन्न निर्देश दिये गये। इस संबध में **विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति के साथ–साथ अनुपस्थिति की गणना किया जाना आवश्यक है।** तत्क्रम में विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका में संशोधन किया गया है, जिससे निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को रोकने हेतु अध्यापक द्वारा की गायी कार्यावाही को उपस्थिति पंजिका में दर्ज किया जा सकेगा। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका का प्रारूप संलग्न है **(विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका का प्रारूप–1)**।

2. चिन्हांकन एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन

2.1 शैक्षिक सत्र 2025–26 में जनपद के समस्त 06–14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन विद्यालय के प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों/बी0टी0सी0 प्रशिक्षुओं/स्वयं सेवी संस्थाओं/अन्य विभागों के कर्मियों द्वारा घर–घर जाकर परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाएगा। विद्यालयों से सेवित बस्तियों/मजरों/वार्डों में स्थित परिवारों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों के मध्य यथा सम्भव बराबर–बराबर बाँटकर सर्वेक्षण किया जाएगा।

2.2 शैक्षिक सत्र 2025–26 में अभियान के रूप में परिवार सर्वेक्षण का प्रथम चरण दिनाँक 01.07.2025 से 31.07.2025 तक तथा दूसरा चरण दिनाँक 16.08.2025 से 15.09.2025 तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि में सभी ग्रामीण एवं नगरीय परिवारों, ईंट भट्ठों, खदानों, कारखानों, होटलों, ढाबों, असेवित एवं मलिन बस्तियों, जन–जातीय व घुमन्तू समुदायों आदि एवं मौसमी पलायन से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण करते हुए आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिह्नीकरण एवं आयु संगत कक्षा में किया जायेगा। नयी परिभाषा के अनुसार ड्रॉपआउट बच्चों के चिन्हांकन का कार्य अध्यापकों द्वारा पूरे शैक्षिक सत्र में नियमित रुप से किया जायेगा। परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र **(संलग्नक–1)**, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के विवरण हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र **(संलग्नक–2)** एवं सर्वेक्षण प्रपत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोड का विवरण संलग्न **(संलग्नक–3)** है।

2.3 परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र (संलग्नक–1) को विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा तथा प्रथम चरण के परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के विवरण को दिनांक : 31.08.2025 तक एवं दूसरे चरण के परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के विवरण को दिनांक : 30.09.2025 तक प्रेरणा पोर्टल के **'परिवार सर्वेक्षण DCF'** पर प्रधानाध्यापकों द्वारा अपलोड किया जाएगा। गत वर्ष परिवार सर्वेक्षण में यदि कोई परिवार सर्वेक्षण से वंचित रह गया है तो ऐसे परिवारों का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। यदि कोई सदस्य सर्वेक्षण से छूट गया है या वर्तमान में परिवार का सदस्य नहीं है तो ऐसे परिवार के सदस्यों के विवरण को एडिट किया जायेगा।

2.4 विशिष्ट आवश्यकता वाले आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन का कार्य भी साथ ही साथ किया जायेगा तथा चिन्हांकन के बाद आयु संगत कक्षा में नामांकन कराया जायेगा।

2.5 आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन एवं नामांकन का विवरण SHARDA/DBT एप के माध्यम अंकित से किया जायेगा तथा माहवार उपस्थिति SHARDA एप के द्वारा अपडेट किया जायेगा।

2.6 पलायन करने वाले बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे बच्चे को पलायन किए जाने वाले स्थान के निकटतम विद्यालय में माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आधार नामांकन कराया जा सके **(संलग्नक–4)**।

3. विशेष प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन

3.1 विद्यालयों में आयुसंगत कक्षा में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को उनकी कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर तक लाने हेतु शारदा संघनित पाठ्यक्रम के आधार पर विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु नोडल अध्यापक/वालंटियर्स को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षत किया गया है, जिनके द्वारा बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

3.2 बच्चों के लिए अधिगम सामग्री तथा संघनित पाठ्य पुस्तकें (कंडेंस्ड टेक्सट बुक्स), आदि उपलब्ध करायी जाएंगी, जिसके आधार पर विशेष प्रशिक्षण सम्पादित किया जायेगा।

3.3 कक्षा 2 से 8 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का बेसलाइन एसेसमेन्ट (मूल्यांकन) चिन्हांकन एवं नामांकन से 15 दिन के बाद शारदा एप्प के माध्यम से किया जायेगा।

3.4 बेसलाइन एसेसमेंट के परिणामों के आधार पर नोडल अध्यापक द्वारा नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षण योजना तैयार की जायेगी। विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित बच्चों का पहला मूल्यांकन माह अक्टूबर में, दूसरा मूल्यांकन माह जनवरी में तथा तीसरा मूल्यांकन माह मार्च में किया जायेगा।

4. उपस्थिति एवं ठहराव

4.1 प्रायः विद्यालयों में बच्चों की संचयी अनुपस्थिति अधिक रहती हैं या उनकी अनुपस्थिति की आवृत्ति अधिक होती है। ऐसे बच्चों की अनुपस्थिति की अवधि में अध्यापकों द्वारा बच्चों की उपस्थिति को सुधारने हेतु ठोस कदम न उठाये जाने के कारण बच्चों की उपस्थिति निरंतर कम होती जाती है, जिसका सीधा प्रभाव बच्चे के अधिगम स्तर पर पड़ता है। अतएव इन बच्चों की उपस्थिति के अनुश्रवण हेतु शसनादेश संख्या I/962209/2025 दिनांक 15 मई 2025 में दी गयी रणनीतियों के अनुसार प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित रूप से कार्यवीही सुनिश्चित की जाएगी।

4.2 विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अन्य अध्यापकों द्वारा बच्चों की उपस्थिति में सुधार हेतु नियामित रूप से गृह भ्रमण किया जायेगा एवं बच्चे के स्कूल में वापस आने तक लगातार फॉलो–अप किया जायेगा।

4.3 समस्त नामांकित बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने हेतु इन बच्चों के अभिभावकों को उनकी अर्हता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा **(संलग्नक–5)**।

5. अनुश्रवण हेतु व्यवस्था

5.1 आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण एवं नामांकन के अनुश्रवण हेतु शारदा पोर्टल/शारदा मोबाइल एप्प विकसित किया गया है तथा शारदा पोर्टल का समस्त डाटा बेसिक शिक्षा विभाग के प्रेरणा पोर्टल से इन्टीग्रेट किया गया है।

5.2 स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा प्रतिमाह 20 विद्यालयों का अनुश्रवण किया जायेगा एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन, मूल्यांकन एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना शारदा एप्प के माध्यम से अपलोड करायी जायेगी।

5.3 जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शारदा पोर्टल पर प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा और पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर कार्यक्रम की समीक्षा करायी जायेगी।

5.4 कार्यक्रम के संचालन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए गाइडलाइन्स संलग्न हैं **(संलग्नक–6)**।

आपसे अपेक्षित है कि कृपया उपरोक्त कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान करते हुए अपने कुशल नेतृत्व में समयबद्ध रूप से क्रियान्वित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

Kanchan

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा।

पृष्ठाकन संख्या :6ए–2सामु0सह0/शारदा/ /2025–26 लखनऊ तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश, सर्वोदय नगर, जी0टी0 रोड़, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ0प्र0 बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
5. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक,राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
11. शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
12. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
13. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश।
14. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
15. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उत्तर प्रदेश।
16. जिला समन्वयक (सामु०सह०) समग्र शिक्षा, समस्त जनपद।

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा।

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

बेसिक शिक्षा अनुभाग- 5, लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2025

विषय: विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट को कम करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या -I/685828/2024 दिनांक 06 जुलाई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट को कम करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

2- प्रायः देखने में आ रहा है कि कतिपय बच्चे विद्यालयों में अधिकतर अनुपस्थित रहते हैं या उनकी अनुपस्थिति की आवृत्ति अधिक होती है। ऐसे बच्चों की अनुपस्थिति की अवधि में अध्यापकों द्वारा बच्चों की उपस्थिति को सुधारने हेतु कोई ठोस कदम न उठाये जाने के कारण बच्चों की उपस्थिति निरंतर कम होती जाती है, जिसका सीधा प्रभाव बच्चे के अधिगम स्तर पर पड़ता है।

3- उक्त शासनादेश संख्या- I/685828/2024 दिनांक 06 जुलाई, 2024 के कतिपय प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट को कम करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

1. <u>विद्यालय से निरंतर अनुपस्थित होने की दशा में-</u>

(i) यदि बालक / बालिका समुचित कारणों के बिना लगातार 3 दिनों तक अनुपस्थित रहता / रहती है तो बुलावा टोली के द्वारा गृह भ्रमण एवं शिक्षक द्वारा पुनरावृत्ति / उपचारात्मक कक्षाएं संचालित की जाए।

(ii) यदि बालक / बालिका समुचित कारणों के बिना लगातार 6 या 6 से अधिक दिनों तक अनुपस्थित रहता / रहती है, तो प्रधानाध्यापक द्वारा गृह भ्रमण तथा बच्चे के स्कूल में वापस आने तक लगातार फॉलो-अप किया जाए और शिक्षक द्वारा पुनरावृत्ति / उपचारात्मक कक्षाएं संचालित की जाए ।

2. <u>आंतरायिक (संचयी) अनुपस्थित होने की दशा में-</u>

2.1 संभावित ड्रॉपआउट

(i) यदि बालक / बालिका एक माह में अधिकतम 6 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा / रही है, तो अध्यापक द्वारा माता - पिता की काउंसलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति / उपचारात्मक कक्षाएं संचालित की जाए।

(ii) यदि बालक / बालिका एक तिमाही में 10 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा / रही है, तो अगले माह में अभिभावक अध्यापक बैठक में माता - पिता की काउंसलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति / उपचारात्मक कक्षाएं संचालित की जाए।

(iii) यदि बालक/बालिका छः माह में 15 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा / रही है तो अगले माह में अभिभावक अध्यापक बैठक में माता-पिता की काउंसलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति / उपचारात्मक कक्षाएं संचालित की जाए ।

2.2 अति संभावित ड्रॉपआउट

(i) यदि बालक / बालिका नौ माह में 21 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा / रही है तो अगले माह में अनुपस्थिति के कारणों का विश्लेषण कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाए, तथा अभिभावक अध्यापक बैठक में माता-पिता की काउंसलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति / उपचारात्मक कक्षाएं संचालित की जाए;

(ii) यदि बालक/ बालिका एक शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा / रही है, लेकिन वार्षिक / NAT मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक प्राप्त किए है तो अगले माह में अभिभावक - अध्यापक बैठक में माता-पिता की काउंसलिंग एवं अनुपस्थिति के कारणों का विश्लेषण कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाए, तथा आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति / उपचारात्मक कक्षाएं संचालित की जाए;

(iii) यदि बालक / बालिका एक शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा / रही है, तथा वार्षिक / NAT मूल्यांकन में 35% से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसे बालक/बालिका को ड्रॉप आउट मानते हुए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या: I/685828/2024 दिनांक 06 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित आउट ऑफ़ स्कूल के बच्चों की परिभाषा को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

शासनादेश संख्या: I/685828/2024 दिनांक 06 जुलाई, 2024 में दी गयी परिभाषा	संशोधित परिभाषा
"6-14 वर्ष कि आयु का कोई बालक बिना विद्यालय का माना जायेगा, यदि वह प्रारम्भिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया / की गयी हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात अनुपस्थिति के कारणों की पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरंतर 45 दिन या उससे अधिक अवधि से अनुपस्थित रहा हो / रही हो" ।	"6-14 वर्ष की आयु का कोई बालक / बालिका, बिना विद्यालय का माना जायेगा, यदि वह प्रारम्भिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया/ की गयी हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात एक शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा / रही हो और वार्षिक / NAT मूल्यांकन में 35% से कम अंक प्राप्त किया हो।"

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट को कम करने हेतु शासन द्वारा लिए गये उपरोक्त निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
DEEPAK KUMAR
Date: 15-05-2025
10:13:21

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश, सर्वोदय नगर जी०टी० रोड़, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश ।
3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ ।
5. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ०प्र० बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ ।

6. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश ।
9. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
12. शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
13. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
15. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

Digitally signed by
ANAND KUMAR SINGH
Date: 15-05-2025
13:16:12
(आनन्द कुमार सिंह)
उप सचिव।

संलग्नक-1

परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप

जनपद		ब्लाक / नगर		न्याय पंचायत		ग्राम पंचायत/वार्ड/ मजरा का नाम	

परिवार के मुखिया के जानकारी

(राशन कार्ड न० यदि उपलब्ध हो	परिवार के मुखिया का नाम	आयु	लिंग*	धर्म*	वैवाहिक स्थिति*	सामाजिक वर्ग*	शैक्षिक योग्यता*	व्यवसाय*	परिवार की अनुमानित आय	मोबाइल न.	घर का स्वामित्व*	बी . पी .एल / ए . पी .एल	पूर्ण पता (मकान न. सहित)

परिवार के सदस्यों का विवरण (जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक हो)

क्र.स	नाम	आयु	लिंग	मोबाइल न०	वैवाहिक स्थिति	शैक्षिक योग्यता	व्यवसाय	मुखिया से सम्बन्ध*
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

बच्चों का विवरण (जिनकी उम्र 0-14 वर्ष हो)

क्र.स	बच्चे का नाम	आयु	लिंग	पिता का नाम	माता का नाम	मुखिया से सम्बन्ध*	क्या बच्चा किसी विद्यालय मे नामांकित है (हाँ / नहीं)	यदि हाँ तो कक्षा	विद्यालय –यू-डायस / आंगनबाड़ी – केंद का कोड	विद्यालय का नाम / आंगनबाड़ी केंद का नाम	क्या बच्चा दिव्यांग है (हाँ/ नहीं)	यदि नहीं, तो 7 से 14 वर्ष की आयु के आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु संलग्नक-2 भरें।
1												
2												
3												
4												
5												

नोट:- *लिंग, *धर्म, *सामाजिक वर्ग, *वैवाहिक स्थिति, *शैक्षिक योग्यता, *व्यवसाय, *घर का स्वामित्व, *मुखिया से सम्बन्ध एवं *विद्यालय न जाने के कारण का कोड सं0 के लिए संलग्रक-3 का संदर्भ लें।

सर्वेक्षणकर्ता का नाम: **मोबाइल नं:** **विभाग/संस्था का नाम:** **सर्वेक्षण की तिथि:** **हस्ताक्षर**

परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप

संलग्नक-1

जनपद		ब्लाक / नगर		न्याय पंचायत		ग्राम पंचायत/वार्ड/ मजरा का नाम	

परिवार के मुखिया के जानकारी

(राशन कार्ड न० यदि उपलब्ध हो	परिवार के मुखिया का नाम	आयु	लिंग*	धर्म*	वैवाहिक स्थिति*	सामाजिक वर्ग*	शैक्षिक योग्यता*	व्यवसाय*	परिवार की अनुमानित आय	मोबाइल न.	घर का स्वामित्व*	बी . पी .एल / ए . पी .एल	पूर्ण पता (मकान न. सहित)

परिवार के सदस्यों का विवरण (जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक हो)

क्र.स	नाम	आयु	लिंग	मोबाइल न०	वैवाहिक स्थिति	शैक्षिक योग्यता	व्यवसाय	मुखिया से सम्बन्ध*
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

बच्चों का विवरण (जिनकी उम्र 0-14 वर्ष हो)

क्र.स	बच्चे का नाम	आयु	लिंग	पिता का नाम	माता का नाम	मुखिया से सम्बन्ध*	क्या बच्चा किसी विद्यालय मे नामांकित है (हाँ / नहीं)	यदि हाँ तो कक्षा	विद्यालय –यू-डायस / आंगनबाड़ी – केंद का कोड	विद्यालय का नाम / आंगनबाड़ी केंद का नाम	क्या बच्चा दिव्यांग है (हाँ/ नहीं)	यदि नहीं, तो 7 से 14 वर्ष की आयु के आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु संलग्नक-2 भरें।
1												
2												
3												
4												
5												

नोट:- *लिंग, *धर्म, *सामाजिक वर्ग, *वैवाहिक स्थिति, *शैक्षिक योग्यता, *व्यवसाय, *घर का स्वामित्व, *मुखिया से सम्बन्ध एवं *विद्यालय न जाने के कारण का कोड सं0 के लिए संलग्रक-3 का संदर्भ लें।

सर्वेक्षणकर्ता का नाम: **मोबाइल नं:** **विभाग/संस्था का नाम:** **सर्वेक्षण की तिथि:** **हस्ताक्षर**

नोट : सर्वेक्षण प्रारूप को भरते समय दिए गए कोड का प्रयोग करे जिससे एप्प/पोर्टल मे एंट्री करते समय असुविधा न हो

*लिंग- कोड	
1	पुरुष
2	महिला
3	ट्रांस जेंडर

*धर्म- कोड	
1	हिन्दू
2	मुस्लिम
3	ईसाई
4	सिख
5	बौद्ध
6	जैन
7	पारसी
8	अन्य

*वैवाहिक स्थिति-कोड	
1	विवाहित
2	अविवाहित
3	विधवा
4	विधुर
5	तलाकशुदा
6	परित्यक्ता

*सामाजिक वर्ग- कोड	
1	सामान्य
2	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	अनुसूचित जाति
4	अनुसूचित जनजाति

*शैक्षिक योग्यता- कोड	
1	डॉक्टरेट
2	एम. फिल
3	परास्नातक
4	स्नातक
5	डिप्लोमा
6	इंटरमीडिएट
7	हाईस्कूल
8	आई टी आई
9	कक्षा 8 एवम उससे नीचे
10	अशिक्षित

*व्यवसाय- कोड	
1	छात्र
2	स्वरोजगार
3	गृहणी
4	बेरोजगार
5	मजदूर
6	किसान
7	सरकारी कर्मचारी
8	प्राइवेट कर्मचारी

*घर का स्वामित्व- कोड	
1	निजी भवन
2	किराये का भवन

* मुखिया से सम्बन्ध- कोड			
1	दादा	22	देवरानी
2	दादी	23	भतीजा
3	भाई	24	भतीजी
4	बहन	25	भांजा
5	चाचा	26	भांजी
6	चाची	27	दामाद
7	नाना	28	भाभी
8	नानी	29	ताऊ
9	बुआ	30	मामा
10	फूफा	31	मामी
11	माता	32	मौसी
12	पिता	33	मौसा
13	पत्नी	34	पुत्र
14	पति	35	पुत्री
15	बहू	36	पोता
16	ससुर	37	पोती
17	सास	38	नाती
18	ननद	39	नातिन
19	जेठ	40	पहली पत्नी
20	जेठानी	41	दूसरी पत्नी
21	देवर		

*विद्यालय न जाने के कारण- कोड	
1	अपने घर के कार्यों में लगा रहना
2	कचरा बीनना/स्टेशन/बस स्टेशन आदि पर
3	घरेलू नौकर
4	ईंट भट्ठों व खदानों में काम करना
5	गैराज/फैक्ट्री में काम करना
6	कृषि व्यवसाय
7	पुश्तैनी दस्तकारी
8	छोटे होटलों/ढाबों में काम करना
9	भाई बहनों की देखभाल करना
10	विद्यालय दूर होने का कारण
11	कक्षा-कक्ष में छात्र संख्या अधिक होना
12	शिक्षक का व्यवहार अनुचित होना
13	पढ़ाई में कठिनाई के कारण
14	बाल विवाह
15	परिवार घुमन्तू होने के कारण
16	गरीबी के कारण
17	गंभीर दिव्यान्गता
18	पलायन

नोट : सर्वेक्षण प्रारूप को भरते समय दिए गए कोड का प्रयोग करे जिससे एप्प/पोर्टल मे एंट्री करते समय असुविधा न हो

*लिंग- कोड	
1	पुरुष
2	महिला
3	ट्रांस जेंडर

*धर्म- कोड	
1	हिन्दू
2	मुस्लिम
3	ईसाई
4	सिख
5	बौद्ध
6	जैन
7	पारसी
8	अन्य

*वैवाहिक स्थिति- कोड	
1	विवाहित
2	अविवाहित
3	विधवा
4	विधुर
5	तलाकशुदा
6	परित्यक्ता

*सामाजिक वर्ग- कोड	
1	सामान्य
2	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	अनुसूचित जाति
4	अनुसूचित जनजाति

*शैक्षिक योग्यता- कोड	
1	डॉक्टरेट
2	एम. फिल
3	परास्नातक
4	स्नातक
5	डिप्लोमा
6	इंटरमीडिएट
7	हाईस्कूल
8	आई टी आई
9	कक्षा 8 एवम उससे नीचे
10	अशिक्षित

*व्यवसाय- कोड	
1	छात्र
2	स्वरोजगार
3	गृहणी
4	बेरोजगार
5	मजदूर
6	किसान
7	सरकारी कर्मचारी
8	प्राइवेट कर्मचारी

*घर का स्वामित्व- कोड	
1	निजी भवन
2	किराये का भवन

* मुखिया से सम्बन्ध- कोड			
1	दादा	22	देवरानी
2	दादी	23	भतीजा
3	भाई	24	भतीजी
4	बहन	25	भांजा
5	चाचा	26	भांजी
6	चाची	27	दामाद
7	नाना	28	भाभी
8	नानी	29	ताऊ
9	बुआ	30	मामा
10	फूफा	31	मामी
11	माता	32	मौसी
12	पिता	33	मौसा
13	पत्नी	34	पुत्र
14	पति	35	पुत्री
15	बहू	36	पोता
16	ससुर	37	पोती
17	सास	38	नाती
18	ननद	39	नातिन
19	जेठ	40	पहली पत्नी
20	जेठानी	41	दूसरी पत्नी
21	देवर		

*विद्यालय न जाने के कारण- कोड	
1	अपने घर के कार्यों में लगा रहना
2	कचरा बीनना/स्टेशन/बस स्टेशन आदि पर
3	घरेलू नौकर
4	ईंट भट्ठों व खदानों में काम करना
5	गैराज/फैक्ट्री में काम करना
6	कृषि व्यवसाय
7	पुश्तैनी दस्तकारी
8	छोटे होटलों/ढाबों में काम करना
9	भाई बहनों की देखभाल करना
10	विद्यालय दूर होने का कारण
11	कक्षा-कक्ष में छात्र संख्या अधिक होना
12	शिक्षक का व्यवहार अनुचित होना
13	पढ़ाई में कठिनाई के कारण
14	बाल विवाह
15	परिवार घुमन्तू होने के कारण
16	गरीबी के कारण
17	गंभीर दिव्यान्गता
18	पलायन

संलग्नक-4

माइग्रेशन प्रमाण पत्र

Migration Certificate

TO WHOM IT MAY CONCERN

विशिष्ट छात्र सं०-

फोटो

छात्र/छात्रा नाम: जन्म तिथि :

आयु : लिंग-:

श्रेणी/वर्ग : CWSN (हाँ/नहीं)

पिता का नाम: माता का नाम: अभिभावक नाम का नाम:

माता-पिता /अभिभावक का मोबाईल न.:

विधालय में प्रवेश का दिनाँक: विद्यालय छोड़ने की दिनाँक:

विधालय में प्रवेश की कक्षा : वर्तमान में बच्चे की कक्षा :

विधालय छोड़ने का कारण:

मूल निवास का पता:

बस्ती/मोहल्ला: ग्राम पंचायत/वार्ड: न्याय पंचायत:

विकास खंड/ज़ोन: जनपद:

एतदद्वारा उपर्युक्त विवरण प्रमाणित किया जाता है।

(यह कम्प्यूटर जनित प्रति है। इसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।)

उपस्थिति एवं ठहराव एवं सामजिक सुरक्षा

संलग्नक–5

(1) विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव

प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय बच्चे विद्यालयों में अधिकतर अनुपस्थित रहते है या उनकी अनुपस्थिति की आवृत्ति अधिक होती है। ऐसे बच्चों की अनुपस्थिति की अवधि में अध्यापकों द्वारा बच्चों की उपस्थिति को सुधारने हेतु कोई ठोस कदम न उठाये जाने के कारण बच्चों की उपस्थिति निरंतर कम होती जाती है, जिसका सीधा प्रभाव बच्चे के अधिगम स्तर पर पड़ता है। अतएव इन बच्चों की उपस्थिति के अनुश्रवण हेतु शासनादेश संख्या I/962209/2025 दिनांक 15 मई 2025 में दी गयी रणनीतियों के अनुसार प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित रूप से कार्यवीही सुनिश्चित की जाएगी।

छात्र/ छात्राओं की अनुपस्थित की दशा में	शिक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही
लगातार 3 या 3 दिन से अधिक दिनों तक	● दूरभाष /सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क ● बुलवा टोली के द्वारा गृह भ्रमण ➢ पुनरावृत्ति/ उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन
लगातार 6 या 6 से अधिक दिनों तक	● प्रधानध्यापक द्वारा गृह भ्रमण तथा बच्चे के स्कूल में वापस आने तक लगातार फॉलो-अप ➢ पुनरावृत्ति/ उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन
एक माह में अधिकतम 6 संचयी दिनों से अधिक	● माता-पिता की काउंसलिंग तथा ● पुनरावृत्ति/ उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन
एक तिमाही में 10 संचयी दिनों से अधिक	● अगले माह PTM में माता-पिता की काउंसलिंग तथा ➢ पुनरावृत्ति/ उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन
छः माह में 15 संचयी दिनों से अधिक	● अगले माह PTM में माता-पिता की काउंसलिंग तथा ➢ पुनरावृत्ति/ उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन
नौ माह में 21 संचयी दिनों से अधिक	● अगले माह PTM में माता-पिता की काउंसलिंग ● अनुपस्थिति के कारणों का विश्लेषण कर दूर करने का प्रयास ➢ पुनरावृत्ति/ उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन
एक शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति एवं वार्षिक/NAT मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक	● अगले माह PTM में माता-पिता की काउंसलिंग तथा ● अनुपस्थिति के कारणों का विश्लेषण कर दूर करने का प्रयास तथा ➢ पुनरावृत्ति/ उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन
एक शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति, एवं वार्षिक/NAT मूल्यांकन में 35% से कम अंक	● अगले माह में PTM में माता-पिता की काउंसलिंग तथा ➢ पुनरावृत्ति/उपचारात्मक /उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन

(2) शिक्षक द्वारा गृह भ्रमण के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ

- विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में सुधार हेतु विद्यालय एवं समुदाय के बीच संवाद नितांत आवश्यक है
- विद्यालय के समस्त अध्यापकों द्वारा समय.समय पर गृह भ्रमण किया जाये जिससे अभिभावकों से नियमित संपर्क बना रहे
- अध्यापक द्वारा गृह भ्रमण के समय दिए गए सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये

क्या करें	क्या न करें
• गृह भ्रमण से पूर्व अभिभावकों को सूचित करें तथा परिवार की सुविधानुरूप समय पर जाएँ।	• बिना सूचना दिए या परिवार के लिए असुविधाजनक समय पर घर न जाएँ।
• गृह भ्रमण का उद्देश्य स्प ट करें, जैसे बच्चे की पढ़ाई में रुचि, अनुपस्थिति के कारणों को समझना आदि।	• बच्चे को स्कूल वापस लाने के लिए परिवार पर अनावश्यक दबाव न बनाएँ।
• परिवार में उनकी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक स्थिति का सम्मान करें।	• पारिवारिक परिस्थितियों को समझे बिना टिप्पणी न करें।
• स्थानीय भाषा या बोली में बात करने की कोशिश करें।	• नकारात्मक भाषा का उपयोग न करें।
• विनम्र एवं सम्मानजनक व्यवहार करें।	• धमकी भरी भाषा में बात न करें, परिवार या बच्चे की स्थिति की आलोचना न करें
• परिवार को समय दें ताकि वे अपनी बात रख सकें।	• भ्रमण के समय जल्दी में न रहें
• परिवार के साथ विश्वास और दोस्ताना रिश्ता स्थापित करें ताकि वे खुलकर बात कर सकें।	• गृह भ्रमण के समय में अंतराल अधिक न हो एवं अनुचित वादे न करें।
• बच्चे और परिवार को प्रोत्साहित करें, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें।	• कमियों पर ध्यान देने के बजाय संभावनाओं पर बात करें।

(3) सामाजिक सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु रणनीति

- प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, समस्त बच्चों को तालिका में दिए गए मानदंडों के आधार पर सूचीबद्ध करने की दिशा में कार्य करेंगे। (तालिका-1 देखें)।
- बच्चों का विवरण तथा लागू हो सकने वाली योजनाओं को प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए प्रारूप में भरा जायेगा (प्रारूप-1) जिसका लाभ बच्चे / परिवार को दिलाने के लिए किया जा सकता है।
- विद्यालयों में पूर्व से नामांकित बच्चों को भी उपरोक्त सामजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है - जैसे कि BoCW योजना छात्रवृत्ति आदि।
- विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा बच्चों का विवरण एवं योजनाओं के विवरण सहित सूची ग्राम प्रधान को प्रस्तुत किया जायेगा।

- ग्राम प्रधान द्वारा सर्वे में चिन्हित एवं नामंकित आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों के आउट ऑफ़ स्कूल होने के कारणों की जांच के पश्चात उनको योजनाओं में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- विद्यालय प्रबंध समिति के सदयों एवं अध्यापकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची को ग्राम प्रधान द्वारा अपने स्तर से सत्यापन करते हुए अनंतिम सूची तैयार की जाएगी।
- ऐसी योजनाओं जिसमें जनपद स्तरीय अधिकारी (जैसे श्रम अथवा समाज कल्याण विभाग से सम्बंधित योजनाएँ) के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, अनंतिम सूची ग्राम प्रधान द्वारा एस.डी एम् / बी.डी. ओ. के माध्यम से जिला अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

गाँव का नाम .... ग्राम पंचयत का नाम ....

विकास खण्ड का नाम:..जनपद कानाम:...

ग्राम प्रधान का नाम ....प्रधानाध्यपक का नाम :.......................विद्यालय का नाम ....

प्रारूप -1

क्र. सं.	बच्चे का नाम	माता का नाम	पिता का नाम	लिंग (बालक/ बालिका)	कक्षा	चिन्हांकन का मापदंड/ आउट ऑफ़ स्कूल होने का कारण	बच्चे हेतु लागू योजना का नाम	अभिभावक/ संरक्षक हेतु लागू योजना
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विवरण

(तालिका-1)

क्र. सं.	मानदंड	लागू योजना	लागू राशि / लाभ
1	एकल माँ के द्वारा पालन किये जाने वाला बच्चा	माता के लिए विधवा पेंशन पीडीएस (राशन कार्ड) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा	रु.500 प्रति माह
2	एक या दोनों माता-पिता विकलांग	दिव्यांग पेंशन योजना पीडीएस (राशन कार्ड) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा	रु.500 प्रति माह
3	विकलांग बच्चे	दिव्यांग पेंशन योजना	रु.500 प्रति माह
4	18 साल से कम उम्र में काम करना।	बाल श्रमिक विद्या योजना	बालकों के लिए रु. 1000 प्रति माह बालिकाओं के लिए रु. 1200 प्रति माह
5	परिवार को सहयोग प्रदान करने हेतु बच्चे शैक्षिक उपलब्धियों के लि ए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि	बाल श्रमिक विद्या योजना	कक्षा 8, 9 एवं कक्षा -10 उत्तीर्ण करने पर प्रत्येक छात्र /छात्रा को रू. 6,000/
6	माता-पिता द्वारा मौसमी पलायन	माता-पिता के लिए मनरेगा जॉब कार्ड मुद्रा योजना के तहत ऋण BoCW के तहत लाभ अगर माता-पिता इस योजना के तहत पंजीकृत हैं	मुद्रा योजना: स्वरोजगार के लिए 50,000 - 10,00.000 तक का ऋण। BoCW-छात्रवृति कक्षा 5-7 में पढ़ने वाले - लड़के के लिए रु. 4000 (2000 की 2 किस्तों में) और लड़की के लिए 5000 रुपये (2500 रुपये की 2 किस्त में) और कक्षा 8 में लड़कों के लिए 5000 रुपये और रु. 2 बराबर किश्तों में लड़कियों के लिए 6000 शर्त - 55% अंक
7	बच्चों के दादा-दादी/ नाना-नानी द्वारा देखभाल	वृद्ध माता-पिता के लिए वृद्धावस्था पेंशन।	रु.500 प्रति माह

8	आउट ऑफ़ स्कूल बालिकाओं हेतु	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	रु.100 प्रति माह
9	लड़कियां जिनके माता-पिता कामकाजी है और छोटे भाई-बहनों के साथ रहते है	कन्या सुमंगला योजना।	• जन्म पर रु. 5000, • 1 वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण पर रु.2000, • कक्षा 1 में प्रवेश रु. 3000, • कक्षा 6 में प्रवेश रु.3000, • कक्षा 9 में प्रवेश रु. 5000, • 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 02 वर्षीय या अधिक अवधि का डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश पर रु. 7000

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति

प्रारूप -2

क्या जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है (हाँ/ नहीं)	यदि हाँ तो तिथि लिखें	प्रधानाध्यापक व एस.एम.सी द्वारा कुल कितने विद्यालयों की सूची तैयार की गयी है	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित हो सकने वाले कुल कितने बच्चों का चिन्हांकन कर लिया गया है	कितने बच्चों की सूची ग्राम प्रधान को सौंपी गयी है	कुल कितने बच्चों एवं अभिभावकों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ग्राम प्रधान के द्वारा सुनश्चित किया गया है

संलग्नक-6

आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन, मूल्यांकन एवं विशेष प्रशिक्षण हेतु गाइडलाइन

1. चिह्नांकन/नामांकन की रणनीति:-

(1) प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय से सेवित बस्तियों (कैचमेन्ट एरिया) के घरों का आवंटन स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ के मध्य इस प्रकार किया जायेगा कि सर्वे में सभी बस्तियाँ/घर आच्छादित हो जायें।

(2) जनपदों के डायट एवं समस्त निजी बी0टी0सी0 संस्थानों में बी0टी0सी0/डी0एल0एड0 में प्रशिक्षणरत प्रत्येक प्रशिक्षु को प्राचार्य डायट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे में सम्मलित किया जायेगा।

(3) शहरी क्षेत्रों में सर्वे हेतु नगर निगम/नगर पालिका/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत आदि के अधिकारियों एवं जनपद में काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित कर असेवित बस्तियों की मैपिंग किया जायेगा।

(4) शहरी क्षेत्रों के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन एवं नामांकन हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी (नगर क्षेत्र) द्वारा प्रधानाध्यापकों के साथ बैठककर सभी बस्तियों को आच्छादित करने हेतु अर्बन सर्वे प्लान तैयार किया जायेगा।

(5) शहरी क्षेत्रों की असेवित बस्तियों, बाजार क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस/टैक्सी स्टैंड, रेलवे ट्रैक के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी, नाले/नदी के किनारे बनी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चिह्नांकन हेतु सर्वे में गैर-सरकारी संस्थाओं, एन.एस.एस. एवं स्काउट गाइड के कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाये तथा प्रधानाध्यापक द्वारा सर्वे हेतु घरों का आवंटन किया जायेगा।

(6) ईंट भट्ठे, कंस्ट्रक्शन साईट, खदानों में काम करने वाले मौसमी पलायन (Migration) से प्रभावित परिवारों के बच्चों का सर्वे पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण व श्रम विभाग के सहयोग से किया जायेगा।

(7) प्रधानाध्यापक, एस०एम०सी०अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान का दयित्व होगा कि यदि कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित है परन्तु वह अपने माता-पिता के साथ अन्य स्थान पर पलायन करता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे बच्चे को पलायन किए जाने/आने वाले स्थान के निकटतम विद्यालय में प्रमाण पत्र के आधार पर सम्बंधित कक्षा में नामांकित कर नियमित शिक्षा दी जायेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रारूप संलग्न है (संलग्नक-4)।

(8) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिह्नांकन भी हाउस होल्ड सर्वे के साथ किया जायेगा ताकि ऐसे बच्चों के नामांकन एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के चिह्नांकन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं ग्राम प्रधान से मिलकर आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाये।

(9) प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित कारखानों, फैक्टरी, खादान, व परम्परागत कुटीर/लघु उद्योग आदि में कार्यरत बंधुआ मजदूरों एवं बालश्रमिकों की पहचान श्रम विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे बाल श्रमिक बच्चों की सूचना उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त द्वारा सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सर्वे प्रपत्र में दिए गए विवरण सहित उपलब्ध करायी जायेगी ताकि इनका नामांकन विद्यालय में कराया जा सके।

(10) विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष हो, उन्हें प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा-1 में अनिवार्यतः प्रवेश कराया जायेगा।

(11) बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 11 से 14 वर्ष की आउट ऑफ़ स्कूल किशोरी बालिकाओं का चिह्नांकन आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा किया गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा आउट ऑफ़ स्कूल किशोरियों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी/ सी.डी.पी.ओ. से प्राप्त कर विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सत्यापन कराते हुए विद्यालय में नामांकित कराया जायेगा।

(12) अमान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित कर परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराया जायेगा। अमान्य विद्यालयों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(13) विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबन्ध समिति, माँ समूह एवं स्थानीय राय निर्माताओं (ओपिनियन बिल्डर्स) का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

(14) यदि विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के भाई/बहन किसी विद्यालय में नामांकित नहीं है अर्थात आउट ऑफ स्कूल हैं तो शिक्षामित्र/अनुदेशक/अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा उनके माता-पिता से सम्पर्क कर इन बच्चों का नामांकन प्रत्येक दशा में विद्यालय में कराया जायेगा।

2. मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना

(1) पलायन एक बड़ी चुनौती है। पलायन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य कारणों से हो सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन में एक तरफ मुख्य चुनौती ऐसे बच्चें जो कभी नामांकित नहीं हुए हैं अथवा विद्यालय में नामांकित होते हुए भी अपने माता-पिता या परिवार के साथ 5 से 7 महीने के लिये पलायन कर जाते हैं, जिसके कारण वे स्कूली शिक्षा से वंचित रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपने बच्चों के साथ राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर किसी अन्य जिलों में मौसमी पलायन करते हैं। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी राज्यों के कई गरीब परिवार अपने बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न संगठित और गैर संगठित उद्योगों में काम करने के लिये आते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के कई जनपद इन-माइग्रेशन एवं आउट-माइग्रेशन से प्रभावित हैं।

(2) इन-माइग्रेशन (प्रवासन) के क्षेत्र अर्थात ऐसे क्षेत्र (जिले, ब्लॉक, गाँव) जहां से श्रमिक पलायन करके आते हैं, उन्हें पहचानने की आवश्यकता है।

(3) आउट-माइग्रेशन (बाहर प्रवास) के क्षेत्र अर्थात्, उन क्षेत्रों की मैपिंग करने की आवश्यकता है जहां निर्माण कार्य में सहयोग हेतु श्रमिक पलायन करके जाते हैं, चूंकि माइग्रेशन कृत्रिम रूप से निर्मित सीमाओं को परिभाषित करता है इसलिए विशिष्ट माइग्रेशन से प्रभावित क्षेत्रों (माइग्रेशन पॉकेट/बेल्ट) को चिह्नित करना होगा।

(4) उत्तर प्रदेश में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था मौसमी पलायन के कारण बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में विचार करना आवयश्यक है, जो बच्चे मौसमी पलायन करके किसी गांव में आते हैं वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे गांव से पलायन करके किसी अन्य स्थानों पर जाते हैं उनके बारे में ठोस कदम उठाया जाना है। उत्तर प्रदेश में मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये यह दिशानिर्देश तैयार किये गये है।

(5) मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिये उत्तर प्रदेश में आने व जाने वाले क्षेत्रों के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जाने हैं- प्रत्येक स्कूल को मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों के लिये दो अलग-अलग रजिस्टर बनाने होंगे। ''इन माइग्रेशन रजिस्टर एवं आउट माइग्रेशन रजिस्टर।'' इन माइग्रेशन रजिस्टर में उन बच्चों का विवरण होगा जो किसी दूसरे स्थान से पलायन करके आ रहे हैं, जबकि आउट माइग्रेशन रजिस्टर में उन बच्चों का विवरण होगा जो किसी दूसरे स्थान पर पलायन करके जा रहे हैं।

इन-माइग्रेशन करने वाले बच्चों का विवरण सम्बंधी प्रारुप (विद्यालय स्तर पर उपयोग हेतु)

बच्चे का पूरा नाम	आधार नम्बर यदि उपलब्ध है	जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)	विद्यालय का नाम	गांव/ वार्ड का नाम	विकास खण्ड	उद्योग का प्रकार	पलायन की औसत अवधि (माह)	राज्य का नाम जहां से बच्चा पलायन करके आया है	जिला का नाम जहां से बच्चा पलायन करके आया है

आउट-माइग्रेशन करने वाले बच्चों का विवरण सम्बंधी प्रारुप (विद्यालय स्तर पर उपयोग हेतु)

बच्चे का पूरा नाम	आधार नम्बर यदि उपलब्ध है	जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)	विद्यालय का नाम	गांव/ वार्ड का नाम	विकास खण्ड	उद्योग का प्रकार	पलायन की औसत अवधि (माह)	राज्य का नाम जहां बच्चा पलायन करके गया है	जिला का नाम जहां बच्चा पलायन करके गया है

(6) शैक्षिक सत्र शुरु होने से पूर्व माह फरवरी में तथा माह नवम्बर में जब अधिकांश परिवार पलायन हो रहे होते है तब विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक आयोजित की जाये। बैठकों में स्कूल द्वारा बनाये गये दोनों रजिस्टरों पर विचार किया जाये एवं आंकड़ों की प्रमाणिकता को सत्यापित जाये। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जायेः-

- मौसमी पलायन के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या,
- वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अनुपस्थिति की औसत अवधि,
- आयु संगत कक्षा में नामंकन तथा विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता,
- ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला शिक्षा कार्यालयों के लिये सुझाव।

3. <u>अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु संवेदीकरण (Triggering)</u>

आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन हेतु एस०एम०सी० सदस्यों एवं अध्यापकों द्वारा मोहल्ला बैठकों का आयोजन किया जायेगा। जिनमें नेहरु युवा केंद्र/एन.एस.एस./स्काउट गाइड के कार्यकर्ताओं का भी यथासंभव सहयोग लिया जायेगा। मोहल्ला बैठकों में निम्न बिन्दुओं पर शिक्षा के महत्व के संबंध मे चर्चा की जायेगी तथा समुदाय को प्रेरित किया जाएगा-

- सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाना क्यों जरूरी है ?
- सभी बच्चों को रोज स्कूल भेजना क्यों जरूरी है ?
- बच्चों के स्कूल न जाने से क्या-क्या नुकसान है ?
- क्या स्कूल में जो सिखाया जाता है, वह बाहर भी सीख सकते है ?
- क्या बिना पढ़े-लिखे कोई अच्छा इन्सान/ अधिकारी बन सकता है ?
- पढ़े-लिखे बच्चे और बिना पढ़े-लिखे बच्चे में क्या-क्या अंतर होता है ?
- क्या आपको पता है, 6 से 14 वर्ष का बच्चा पढ़ाई बीच में छोड़ चुका है तो क्या वह फिर से स्कूल में पढ़ने जा सकता है ?
- आपके मोहल्ले से कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते है ?
- आपके मोहल्ले से 6 से 14 वर्ष के कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाते है ?
- क्या आप उन बच्चों के नाम बता सकते है जो विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते है ?
- क्या उन बच्चों का प्रवेश विद्यालय में कराना चाहिए ?

अध्यापक द्वारा चर्चा के दौरान 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनका नाम नोट किया जाएगा तथा इन बच्चों के अभिभावक से संपर्क कर विवरण एकत्रित किया जायेगा एवं हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र में अंकित किया जायेगा।

4. <u>स्पेशल एजुकेटर एवं नोडल अध्यापक की व्यवस्था, कार्य एवं दायित्व</u>

(1) खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स (IT/RT) के मध्य न्याय पंचायतों का आवंटन किया गया है तथा उन्हे न्याय पंचायतवार आवंटित विद्यालयों में आउट ऑफ स्कूल के चिन्हीकरण, नामांकन एवं

नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मूल्यांकन, विशेष प्रशिक्षण के संचालन, उपस्थिति, एवं शैक्षणिक प्रगति के नियमित अनुश्रवण एवं सहयोग प्रदान किये जाने का दायित्व प्रदान किया जाएगा।

(2) स्पेशल एजुकेटर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कक्षा 2 से 8 में नामांकित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का शारदा एप्प के माध्यम से मूल्यांकन निर्धारित अवधि में नोडल अध्यापक द्वारा किया गया है।

(3) स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा प्रतिमाह 20 विद्यालयों का अनुश्रवण किया जायेगा एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन , मूल्यांकन एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना शारदा एप्प के माध्यम से अपलोड कराया जायेगा।

(4) खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रबंधन एवं विशेष प्रशिक्षण हेतु एक नोडल अध्यापक नामित गया है।

(5) नोडल अध्यापक द्वारा नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मूल्यांकन, विशेष प्रशिक्षण, उपस्थिति, ठहराव, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, शैक्षिक एवम् शिक्षण सहगामी गतिविधियों आदि का विशेष ध्यान रखने का दायित्व प्रदान किया जाए।।

(6) नोडल अध्यापक द्वारा परिषदीय विद्यालयों में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को निःशुल्क 02 सेट यूनीफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा एवं स्कूल बैग एवं स्टेशनरी क्रय करने हेतु धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से तथा पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

5. <u>आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारम्भिक मूल्यांकन (बेसलाइन एसेसमेन्ट):-</u>

(1) विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित प्रत्येक आउट ऑफ स्कूल बच्चे का मूल्यांकन (बेसलाइन एसेसमेन्ट) नोडल अध्यापक द्वारा शारदा एप्प के माध्यम से किया जायेगा।

(2) मूल्यांकन चार चरणों में किया जायेगा

- **प्रथम मूल्यांकन** (बेलाइन एसेसमेन्ट)-विद्यलय में नामांकन के 15 दिन के बाद
- **दूसरा मूल्यांकन**- माह अक्टूबर
- **तीसरा मूल्यांकन**- माह जनवरी
- **चौथा मूल्यांकन**-माह मार्च

(3) बच्चों के अधिगम संप्राप्ति के आधार पर नोडल अध्यापक द्वारा नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षण योजना तैयार की जायेगी।

6. आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति

(1) नोडल अध्यापक द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों की माहवार नियमित उपस्थित शारदा एप्प के माध्यम से अंकित की जाएगी।

(2) विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक में आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों की उपस्थिति पर विचार-विमर्श विशेष रूप से किया जायेगा और अनियमित रहने वाले बच्चों को, नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति का सहयोग लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज़ की जायेगी तथा प्रेरणा एप्प के एस०एम०सी० गतिविधि माड्यूल पर सूचना अपलोड की जायेगी।

(3) छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों में नियमित त्रैमासिक/आवश्यकतानुसार अभिभावक-अध्यापक बैठक (पी0टी0एम0) आयोजित की जायेंगी। बैठक में विद्यालय के अध्यापक द्वारा छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से बच्चे की उपस्थिति एवं उपलब्धि (अधिगम) स्तर के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जायेगा। पी०टी0 एम० की बैठक अनिवार्य रूप से माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी के द्वितीय सोमवार को आयोजित की जाएगी।

(4) विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे बच्चों को नोडल अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि अन्य बच्चों को प्रेरणा मिल सके। नोडल अध्यापक द्वारा इन बच्चों को विद्यालय में पुस्तकालय एवं खेल-कूद

की सुविधाओं का लाभ देने के पर्याप्त अवसर दिये जायेंगे। अध्यापकों द्वारा खेल-कूद हेतु आवश्यक उपकरण/सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

(5) समस्त बच्चों का विद्यालय में ठहराव एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मानदंडों के आधार पर प्रधानाध्यापक एवं एस.एम.सी. सदस्योँ द्वारा बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा। **(संलग्नक-5)**

(6) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बंधित विभाग के अधिकारिओं के साथ जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करायेगे तथा पात्रता के आधार पर बच्चों एवं अभिभावकों को योजना का लाभ सुनिश्चित करायेगे।

7. आयुसंगत कक्षा में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था :-

(1) विशेष प्रशिक्षण हेतु समस्त विद्यालय के नोडल अध्यापक को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षत किया गया है, जिनके द्वारा बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(2) विशेष प्रशिक्षण हेतु बच्चों के लिए अधिगम सामग्री तथा संघनित पाठ्य पुस्तकें (कंडेंस्ड टेक्सट बुक्स), आदि उपलब्ध करायी जाएंगी। विद्यालय में नामांकन के उपरान्त बच्चों को अपेक्षित अधिगम स्तर तक लाने हेतु आवश्यकतानुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(3) विशेष प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त नोडल अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा इन बच्चों का वार्षिक परीक्षा के माध्यम से अंतिम मूल्यांकन किया जायेगा और 01 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले नवीन शैक्षिक सत्र में इन बच्चों को आयुसंगत कक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जायेगा, तथा स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा नियमित अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा।

(4) विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं नोडल अध्यापक तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जनपद स्तर पर जिला समन्वयक (प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे।

8. डाटा सिस्टम: ऑउट ऑफ स्कूल बच्चों से संबंधित आँकड़ों का रख-रखाव

(1) हाउसहोल्ड सर्वे में चिह्नित आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों का विवरण एवं बच्चों के विद्यालय में नामांकन का विवरण सर्वे प्रपत्र में भरा जायेगा, सर्वे प्रपत्र के विवरण को नोडल-अध्यापक द्वारा **शारदा मोबाइल एप्प/ डी.बी.टी. मोबाइल एप्प अथवा प्रेरणा पोर्टल** के माध्यम से पंजीकृत किया जायेगा।

(2) पोर्टल पर पंजीकृत बच्चा शारदा मोबाइल एप्प में विद्यालय के शिक्षकों के लॉग-इन पर प्रदर्शित होगा।

(3) नोडल-अध्यापक द्वारा आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों का मूल्यांकन, उपस्थिति, अधिगम स्तर के क्रमिक वृद्धि हेतु त्रैमासिक मूल्यांकन आदि को शारदा मोबाईल एप्प के माध्यम से समय-समय पर अपलोड एवं अपडेट किया जाएगा।

(4) विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों को शारदा एप्प के माध्यम से माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।

9. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग:-

(1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्वे अवधि में विद्यालयवार आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन एवं नामांकन की प्रगति का प्रतिदिन शारदा पोर्टल के माध्यम से अनुश्रवण करेंगे।

(2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एस.आर.जी.) एवं अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ए.आर.पी.) को निर्देश दिया जाये कि वे विद्यालय भ्रमण में आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, ठहराव, मूल्यांकन, विशेष प्रशिक्षण और उनके अधिगम स्तर पर विशेष रूप से अन्श्रावण करेंगे। एस.आर.जी. एवं ए.आर.पी. द्वारा नोडल अध्यापकों को अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट में इसका अनिवार्यतः उल्लेख करेंगे।

(3) खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों हेतु नामित नोडल अध्यापकों की बैठक में आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों के त्रैमासिक मूल्यांकन एवं मासिक उपस्थिति के प्रगति के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

(4) जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) द्वारा प्रतिदिन 'शारदा-पोर्टल' पर प्रगति का अवलोकन किया जाएगा और उसकी अद्यतन जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ हीं अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले विकास खण्डों/विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(5) नामांकन के उपरान्त, नोडल अध्यापक द्वारा शारदा एप्प पर प्रदर्शित आउट बच्चों का त्रमसिक मूल्यांकन एवं मासिक उपस्थिति के विवरण को अनिवार्य रूप से अपडेट किया जायेगा।

(6) खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन कम-से कम एक बार तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सप्ताह में कम-से-कम एक बार शारदा पोर्टल को लॉगिन कर पोर्टल पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 'शारदा कार्यक्रम' की समीक्षा की जाएगी।

(7) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शारदा पोर्टल पर प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा और पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर कार्यक्रम की समीक्षा करायी जायेगी।

(8) बच्चों के मेनस्ट्रीमिंग की प्रगति का अनुश्रवण भी शारदा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

******

विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका

वर्ष– 20   –20

विद्यालय का नाम ....

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / कंपोजिट विद्यालय

विकास खण्ड ....

जनपद ....

UDISE+ कोड...

विद्यार्थी विवरण

कक्षा वर्ष– 20 – 20

क्रम संख्या	छात्र की यूनिक पहचान संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	लिंग	जन्म तिथि	आधार संख्या	पिता का नाम	पिता का आधार संख्या	माता का नाम	माता का आधार संख्या	वर्ग	वर्तमान पता	अभिभावक का मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप नंबर	छात्र/अभिभावक खाताधारक का नाम	खाता संख्या	शाखा सहित बैंक का नाम	IFSC कोड

कुल नामांकित छात्र/छात्राएं...

विद्यार्थी विवरण

कक्षा   वर्ष– 20   – 20

क्रम संख्या	छात्र की यूनिक पहचान संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	लिंग	जन्म तिथि	आधार संख्या	पिता का नाम	पिता का आधार संख्या	माता का नाम	माता का आधार संख्या	वर्ग	वर्तमान पता	अभिभावक का मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप नंबर	छात्र/अभिभावक खाताधारक का नाम	खाता संख्या	शाखा सहित बैंक का नाम	IFSC कोड

कुल नामांकित छात्र/छात्राएं...

विद्यार्थी विवरण

कक्षा   वर्ष– 20   – 20

क्रम संख्या	छात्र की यूनिक पहचान संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	लिंग	जन्म तिथि	आधार संख्या	पिता का नाम	पिता का आधार संख्या	माता का नाम	माता का आधार संख्या	वर्ग	वर्तमान पता	अभिभावक का मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप नंबर	छात्र/अभिभावक खाताधारक का नाम	खाता संख्या	शाखा सहित बैंक का नाम	IFSC कोड

कुल नामांकित छात्र/छात्राएं...

विद्यार्थी विवरण कक्षा वर्ष– 20 – 20

क्रम संख्या	छात्र की यूनिक पहचान संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	लिंग	जन्म तिथि	आधार संख्या	पिता का नाम	पिता का आधार संख्या	माता का नाम	माता का आधार संख्या	वर्ग	वर्तमान पता	अभिभावक का मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप नंबर	छात्र/अभिभावक खाताधारक का नाम	खाता संख्या	शाखा सहित बैंक का नाम	IFSC कोड

कुल नामांकित छात्र/छात्राएं..

विद्यार्थी विवरण कक्षा वर्ष– 20 – 20

क्रम संख्या	छात्र की यूनिक पहचान संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	लिंग	जन्म तिथि	आधार संख्या	पिता का नाम	पिता का आधार संख्या	माता का नाम	माता का आधार संख्या	वर्ग	वर्तमान पता	अभिभावक का मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप नंबर	छात्र/अभिभावक खाताधारक का नाम	खाता संख्या	शाखा सहित बैंक का नाम	IFSC कोड

कुल नामांकित छात्र/छात्राएं...

विद्यार्थी विवरण

कक्षा वर्ष– 20 – 20

क्रम संख्या	छात्र की यूनिक पहचान संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	लिंग	जन्म तिथि	आधार संख्या	पिता का नाम	पिता का आधार संख्या	माता का नाम	माता का आधार संख्या	वर्ग	वर्तमान पता	अभिभावक का मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप नंबर	छात्र/अभिभावक खाताधारक का नाम	खाता संख्या	शाखा सहित बैंक का नाम	IFSC कोड

कुल नामांकित छात्र/छात्राएं...

विद्यार्थी विवरण कक्षा वर्ष– 20 – 20

क्रम संख्या	छात्र की यूनिक पहचान संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	लिंग	जन्म तिथि	आधार संख्या	पिता का नाम	पिता का आधार संख्या	माता का नाम	माता का आधार संख्या	वर्ग	वर्तमान पता	अभिभावक का मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप नंबर	छात्र/अभिभावक खाताधारक का नाम	खाता संख्या	शाखा सहित बैंक का नाम	IFSC कोड

कुल नामांकित छात्र/छात्राएं..

विद्यार्थी विवरण कक्षा वर्ष– 20 – 20

क्रम संख्या	छात्र की यूनिक पहचान संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	लिंग	जन्म तिथि	आधार संख्या	पिता का नाम	पिता का आधार संख्या	माता का नाम	माता का आधार संख्या	वर्ग	वर्तमान पता	अभिभावक का मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप नंबर	छात्र/अभिभावक खाताधारक का नाम	खाता संख्या	शाखा सहित बैंक का नाम	IFSC कोड

कुल नामांकित छात्र/छात्राएं...

विद्यार्थी विवरण कक्षा वर्ष– 20 – 20

क्रम संख्या	छात्र की यूनिक पहचान संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	लिंग	जन्म तिथि	आधार संख्या	पिता का नाम	पिता का आधार संख्या	माता का नाम	माता का आधार संख्या	वर्ग	वर्तमान पता	अभिभावक का मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप नंबर	छात्र/अभिभावक खाताधारक का नाम	खाता संख्या	शाखा सहित बैंक का नाम	IFSC कोड

कुल नामांकित छात्र/छात्राएं..

विद्यार्थी विवरण

कक्षा वर्ष– 20 – 20

क्रम संख्या	छात्र की यूनिक पहचान संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	लिंग	जन्म तिथि	आधार संख्या	पिता का नाम	पिता का आधार संख्या	माता का नाम	माता का आधार संख्या	वर्ग	वर्तमान पता	अभिभावक का मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप नंबर	छात्र/अभिभावक खाताधारक का नाम	खाता संख्या	शाखा सहित बैंक का नाम	IFSC कोड

कुल नामांकित छात्र/छात्राएं...

विद्यार्थी विवरण

कक्षा   वर्ष– 20   – 20

क्रम संख्या	छात्र की यूनिक पहचान संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	लिंग	जन्म तिथि	आधार संख्या	पिता का नाम	पिता का आधार संख्या	माता का नाम	माता का आधार संख्या	वर्ग	वर्तमान पता	अभिभावक का मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप नंबर	छात्र/अभिभावक खाताधारक का नाम	खाता संख्या	शाखा सहित बैंक का नाम	IFSC कोड

कुल नामांकित छात्र/छात्राएं...

विद्यार्थी विवरण कक्षा वर्ष– 20 – 20

क्रम संख्या	छात्र की यूनिक पहचान संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	लिंग	जन्म तिथि	आधार संख्या	पिता का नाम	पिता का आधार संख्या	माता का नाम	माता का आधार संख्या	वर्ग	वर्तमान पता	अभिभावक का मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप नंबर	छात्र/अभिभावक खाताधारक का नाम	खाता संख्या	शाखा सहित बैंक का नाम	IFSC कोड

कुल नामांकित छात्र/छात्राएं...

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				**3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				**3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम........ अध्यापक का नाम........ विकास खण्ड........ .जनपद........ माह........ वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम............ अध्यापक का नाम............ विकास खण्ड............ .जनपद............ माह............ वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				**3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम.............. अध्यापक का नाम.............................. विकास खण्ड.................................... .जनपद.................................... माह.............. वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में: **3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट): **गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	अति संभावित ड्रॉपआउट: **9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	ड्रॉपआउट: **शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में** **3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)** **गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**अति संभावित ड्रॉपआउट** **9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**ड्रॉपआउट** **शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में** **3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)** **गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**अति संभावित ड्रॉपआउट** **9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**ड्रॉपआउट** **शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				**3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				**3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में: **3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट): **गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	अति संभावित ड्रॉपआउट: **9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	ड्रॉपआउट: **शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				**3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				**3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✕)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✕)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✕)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✕)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✕)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✕)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✕)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✕)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में** **3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)** **गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**अति संभावित ड्रॉपआउट** **9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**ड्रॉपआउट** **शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में: **3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट): **गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	अति संभावित ड्रॉपआउट: **9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	ड्रॉपआउट: **शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				**3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम ……………… **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस………………

कक्षा का नाम ……… अध्यापक का नाम ……… विकास खण्ड ……… .जनपद ……… माह ……… वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में		संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)			अति संभावित ड्रॉपआउट		ड्रॉपआउट
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस..................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												

विद्यालय का नाम .... **विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका** कुल शिक्षण दिवस.................

कक्षा का नाम .... अध्यापक का नाम .... विकास खण्ड .... .जनपद .... माह .... वर्ष –20 –20

																																		माह में कुल उपस्थिति	माह में कुल अनुपस्थिति	वर्तमान एवं गत माहों में कुल अनुपस्थिति	**निरंतर विद्यालय से अनुपस्थिति की दशा में**		**संचयी अनुपस्थिति की दशा में (संभावित ड्रॉपआउट)**			**अति संभावित ड्रॉपआउट**		**ड्रॉपआउट**
																																					3 दिन या 3 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में दूरभाष द्वारा अभिभावक से संपर्क/बुलवा टोली द्वारा गृह भ्रमण तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 या 6 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** गृह भ्रमण, फॉलोअप तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**गत माह में 6 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** माता पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**विगत तिमाही में 10 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**6 माह में 15 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**9 माह में 21 संचयी दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक की दशा में** पीटीएम में माता–पिता की काउंसलिंग तथा पुनरावृत्ति/रिमीडियल कक्षा आयोजित की गयी (✓/✗)	**शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थिति तथा वार्षिक मूल्यांकन में 35% से कम अंक की दशा में** विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी (✓/✗)
क्रम संख्या	प्रवेशांक	विद्यार्थी का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
माह में कुल उपस्थिति छात्र/छात्राएं																																												